सत्यमेव जयते

खंड ३ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

बुधवार, तिथि २ सितम्बर, १९५३

Vol. III. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Wednesday, the 2nd September, 1953.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित ।
१९५४

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

विहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ८ अक्टूबर, १९५३ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

FIRING AT ARERAJ.

39. Shri HARIBANS SAHAY : Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the attention of Government has been drawn to the news published in a local English daily of 7th instant under the caption "Two killed and four injured by firing at Areraj";

(*b*) whether it is a fact that firing within the premises of the temple of Mahadeo has taken place on a Mela Day and guns and revolvers used on the occasion have been seized by the Police Officer who was present on the spot;

(*c*) whether it is a fact that the firing within the temple compound is unprecedented in the history of the temple and has caused a great public concern in the entire district of Champaran;

(*d*) what steps, if any, Government have taken and propose to take to get the matters thoroughly investigated;

(*e*) what steps, if any, were taken by the Police and other authorities who had apprehended the occurrence with a view to prevent the breach of peace?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) It is a fact that firing was resorted to by persons in the courtyard of Mahadeo temple. It is also a fact that the Sub-Inspector of Police seized the revolver of the Mahant and gun of the Mahanth's manager, Ram Naresh Yati, just after firing.

(*c*) It is a fact that firing within the premises of the temple is a rare occurrence and there has been some concern amongst the public over the serious incident. 3 persons were killed.

(*d*) Police have taken up the case and Mahant Sheo Shankar Giri and Ram Naresh Yati were arrested on 6th September 1953 immediately after the occurrence and are in custody. Their bail petitions have been rejected by the Court of Sessions.

(e) The Sub-Inspector is reported to have got information of the apprehended trouble at 6 A. M. of 6th September 1953 and went to the spot but did not find any scent of immediate trouble.

At about 7 A. M. all of a sudden a mob of about 30 to 40 Gosains, variously armed, approached the southern gate of the temple shouting for the share in the Pagri. The Sub-Inspector and his men checked them and began to reason with them at a distance of 25 cubits from the staircase near the southern gate. Meanwhile members of the mob started pelting bricks inside the temple. It is alleged that while this was going on the Mahant and the Manager opened fire from the top of the staircase as a result of which one person was killed. The Sub-Inspector of Police also received gun shot injuries on his right hand while other members of the police party narrowly escaped. The police investigation continues and it would not be in public interest to give any further details of the case at this stage.

श्री हरिवंश सहाय—क्या सरकार को यह मालूम है कि अररेाज में शिव का जो मंदिर है वह बहुत ही प्राचीन है और वहां लाखोंलाख आदमी हर साल दर्शन के लिए जाते हैं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह सवाल कैसे उठता है। खंड (ए) में इतना ही है :

"Whether it is a fact that the attention of Government has been drawn to the news published in a local English daily of 7th instant under the caption "Two killed and four injured by firing at Areraj". I feel, Sir, that this supplementary does not arise.

अध्यक्ष—प्रश्न में आप इस बात को पूछे होते तो यह पूरक हो सकता था।

श्री हरिवंश सहाय—सरकार ने बतलाया है कि तीन आदमी मरे हैं, तो उनके अलावे घायल कितने हुए?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमारे पास यह इनफौरमेशन नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय—हम सरकार से जानना चाहते हैं कि मरे और जो घायल हुए, उनके नाम, उनका सेक्स और उनकी उम्र क्या है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक मैं उनका नाम बता रहा हूं :—

(१) विन्देश्वरी,
(२) सकल बैठा,
(३) मो० मन्तारन,
(४) जगन्नाथ ठठेरा,
(५) खेरन महतो,
(६) चौकीदार सोना राय,
(७) मो० सुन्दरी कहारिन और
(८) व्याकुल धुनिया।

श्री हरिवंश सहाय—जो भीड़ वहां गयी थी उसमें कोई घायल हुआ या नहीं ?

अध्यक्ष—यह तो डिटेल की बात है।

श्री हरिवंश सहाय—सरकार ने जो जांच की थी वह क्या सही नहीं थी जो फिर दुहरा कर अलग-अलग मजिस्ट्रेट और पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा इनवेस्टिगेट किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमारे पास खबर है कि पुलिस इनवेस्टिगेशन हुआ है। कोई वजह नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इनवेस्टिगेशन हो। यह पुलिस केस है, इसलिए पुलिस द्वारा इनवेस्टिगेशन हो रहा है।

श्री हरिवंश सहाय—क्या यह बात सही है कि एक पार्टी ने दरखास्त दी कि पुलिस इन्सपेक्टर एक तरफ पक्ष कर रहे हैं इस पर एस० डी० ओ० ने आज्ञा दी कि मजिस्ट्रेट एविडेन्स लें ?

अध्यक्ष—जवाब दिया गया है कि डुवेल इनक्वायरी नहीं हो रही है।

श्री हरिवंश सहाय—क्या सरकार पुलिस इन्सपेक्टर की जांच को मानती है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—एस० पी० के डाइरेक्ट देखरेख में जांच हो रही है। उसमें इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर दोनों इनक्वायरी कर सकते हैं। जिस रिपोर्ट के आधार पर हम उत्तर दे रहे हैं वह एस० पी० की रिपोर्ट है।

श्री हरिवंश सहाय—मैं जानना चाहता हूं कि इनवेस्टिगेशन आफिसर जो भी हों उनके खिलाफ एस० डी० ओ० के यहां दरखास्त पड़ी है या नहीं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—ऐसी कोई खबर सरकार के पास नहीं है।

श्री शिवधारी पांडे—सवाल में है कि पुलिस वहां मौजूद थी और सरकार ने सबूत भी दिया है कि पुलिस थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फायरिंग जो हुई उसे रोकने के लिये पुलिस ने प्रबन्ध किया या नहीं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हम ने जवाब दिया है कि

the Sub-Inspector and his men checked them and began to reason with them at distance of 25 cubits from the staircase near the southern gate. Meanwhile members of the mob started pelting bricks inside the temple. It is alleged that while this was going on, the Mahanth and the Manager opened fire.

श्री शिवधारी पांडे—मैं यह पूछ रहा हूं कि कई बार फायरिंग हुई और कई आदमी मारे गये और सब-इन्सपेक्टर वहां मौजूद थे तो उन्हों ने रोकने का उपाय नहीं किया ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं ने कहा है कि शांति भंग का आदेश था। यह क्या खबर थी कि फायरिंग हो जायगी? उसने कोशिश की कि लोगों को हटा दें, मगर उसको कामयाबी नहीं हुई इसलिये कि सिचुएशन को कन्ट्रोल करना उसके लिये फीजिकली नामुमकीन था।

श्री रामरूप प्रसाद राय—क्या सरकार को यह खबर है कि अरेराज के महंथ चार वर्षों से वहां के बाशिन्दों पर तरह-तरह के जुल्म कर रहे हैं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार को इसकी खबर नहीं है।

श्री रामरूप प्रसाद राय—क्या सरकार को इसकी खबर है कि कई बार वहां अगलगी भी हुई थी जिसकी खबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी गई थी?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री रामरूप प्रसाद राय—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग मारे गये वे लोकल थे या यात्री थे?

अध्यक्ष—यह कैसे बताया जा सकता है।

श्री रामरूप प्रसाद राय—आइडेन्टिफिकेशन हुआ होगा इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, जो डीटेल्स मैंने दे दिये हैं उससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये सभी बातें कोर्ट में आयेंगी इसलिये मेरा इनके मुताल्लिक, कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर घोष—जब पुलिस को मालूम था कि रायट होने वाला है या शांति भंग की सम्भावना है तो सेक्शन १०७ सी० आर० पी० सी० के अनुसार लोगों को गिरफ्तार किया या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—पुलिस को ६ सेप्टेम्बर, १९५३ के सुबह में यह खबर मिली और एकाएक ७ बजे शाम को यह वाकया हो गया।

श्री गदाधर सिंह—क्या यह बात सही नहीं है कि पुलिस वहां मौजूद नहीं थी और महंथ कुछ खास लोगों को मारना चाहते थे इसीलिए उन्होंने गोली चलाई और जो यात्री घूम रहे थे उन्हीं को गोली लगी और कोई लोकल आदमी नहीं मारा गया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सवाल माननीय सदस्य को नहीं उठाना चाहिए और आपको इसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, ये सब सवालात कचहरी में आएंगे।

श्री गदाधर सिंह—मेरा ख्याल है कि सरकार का बयान गलत है। वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, महंथ ने गोली चलाई और कुछ यात्री मारे गये।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुलिस के अधिकारी उस जगह पर गये थे उन्हें थाने के रजिस्टर से क्या इसका पता नहीं था कि महंथ के पास राइफल या बन्दूक या रिवौल्वर है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि सब-इन्सपेक्टर को जरूर मालूम होगा।

श्री रामानन्द तिवारी—तो जब यह मालूम था और जैसा कि माल-मंत्री ने बताया है कि वहां शान्ति भंग की संभावना थी तो क्या पुलिस अफसर की यह ड्युटी नहीं है कि जहां इस तरह का अन्देशा हो और यह भी मालूम हो कि लोगों के पास हथियार हैं वहां वह भी अपने हथियार से लैस होकर जाय ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—ऐसी ड्युटी पुलिस की नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या पुलिस मैनुअल के अपेन्डिक्स ३६ में यह नहीं है कि . . .

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं पुलिस मैनुअल के अपेन्डिक्स ३६ को तो नहीं जानता लेकिन मैं अक्ल से कह सकता हूं कि पुलिस का यह फर्ज कभी भी नहीं हो सकता है कि जहां शान्ति भंग का अन्देशा हो वहां बन्दूक या रिवौल्वर से काम ले।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है। उनका कहना है कि पुलिस को थाने से यह जान लेना चाहिये था कि महंथ के पास हथियार है इसलिये इनको भी हथियार से लैस होकर जाना चाहिये था।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—पुलिस को यह क्या खबर थी कि फायरिंग होगी ? उसने समझा था कि सिर्फ तनाजा है।

श्री रामानन्द तिवारी—पुलिस मैनुअल में यह नियम है कि सब-इन्सपेक्टर से लेकर ऊपर के जितने अफसर हैं वे जब ड्युटी में जाते हैं और युनिफार्म पहनते हैं तो वे एक रिवाल्वर भी रखते हैं जिसको वे अपने साथ रखते हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि मौब को बचाने के लिये सब-इन्सपेक्टर ने वह रिवाल्वर इस्तेमाल किया या नहीं ?

अध्यक्ष—उन्होंने नहीं किया।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उनकी ड्युटी थी या नहीं कि जब फायरिंग उधर से हो रही थी तो वे भी रिवाल्वर से फायरिंग करते ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मेरा ख्याल है कि सब-इन्सपेक्टर को फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि जब पुलिस अफसरों का डेपुटेशन होता है और वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं रहता है और इस तरह के भयंकर घटना हो जाती है जिससे जनता का अहित हो तो पुलिस अफसर स्वतंत्र रहता है कि भीड़ को अपने नियंत्रण में रखने के लिये जैसा उचित समझे करे?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—महंथ ने गोली चलाई जिससे कुछ लोग मारे गये अब अगर पुलिस भी फायरिंग करती तो और लोग मरते जो मुनासिब नहीं था। पुलिस का काम लोगों को बचाना है मारना नहीं।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, पुलिस की यह जिम्मेदारी है इसलिये मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि पुलिस ने अपनी डियुटी नहीं की इसलिये उसको दंड होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक बार गोली चली या कई बार गोली चली।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार को इसकी खबर नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार यह बता सकती है कि जब डकैत या लुटेरे गोली चलावें और पुलिस अफसर के पास रिवौल्वर हो तो वह उससे काम नहीं ले सकता है?

अध्यक्ष—इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्यों नहीं मिल सकता है?

अध्यक्ष—वह अफसर तो कानून के मुताबिक काम करेगा।

श्री रामानन्द तिवारी—हम यह साबित करना चाहते हैं कि सब-इन्सपेक्टर ने अपना कर्तव्यपालन नहीं किया।

अध्यक्ष—सरकार ने कहा है कि उसके पास जितनी खबर है उसने बतला दी है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हम नहीं समझते हैं कि पुलिस अफसर का कोई कसूर था। सब-इन्सपेक्टर का काम है "टु प्रेभेंट कमिशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस" अगर किसी ने किसी को मार दिया तो गोली चला देना पुलिस का काम नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या यह बात सही है कि ३ आदमी मरे और कुछ जख्मी हुए तभी रिवौल्वर काम में नहीं लाया गया। यह साधारण प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष—इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? इसका जवाब है कि उसने नहीं मारा है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार यह बतलायगी कि उसने रिवौल्बर नहीं चला या तो गलती की?

अध्यक्ष—सरकार ने जवाब दिया है कि वह नहीं मानती है कि एस०-आई० ने गलती की। यह तो कोर्ट फैसला करेगी कि किसने गलती की।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—६ बजे एस०-आई० वहां पहुंचे और ७ बजे फायरिंग हुई इस बीच में शान्ति कायम रखने के लिए उन्होंने कौन-सी कार्रवाई की?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—एस०-आई० को खबर नहीं थी। जवाब में कहा गया है:

The Sub-inspector is reported to have got information of the apprehended trouble at 6 A. M. of 6th September 1953 and went to the spot but did not find any scent of immediate trouble. At about 7 A. M. all of a sudden a mob of about 30 to 40 Gosains variously armed, approached the southern gate of the temple shouting for the share in the Pagri.

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—एस०-आई० को कब खबर लगी कि वहां शान्ति भंग का डर है और किस आधार पर उन्होंने यह समझा कि वहां अमन-चैन है और एक घंटे के बाद ही वहां शान्ति भंग हो गयी। इस बीच में उन्होंने क्या किया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जब खबर मिली तब एस०-आई० वहां गये लेकिन उनको कोई ऐसी बात वहां मालूम नहीं हुई कि वहां शान्ति भंग की तैयारी है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—क्या यह बात सही है कि किसी पार्टी ने मजिस्ट्रेट के पास इस तरह की दरखास्त की कि पुलिस की इनक्वायरी न कराकर इसमें मजिस्ट्रेट के मारफत इनक्वायरी करायी जाय।

अध्यक्ष—यह मुकदमें की बात है जिसे आप यहां नहीं पूछ सकते हैं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह फैक्ट है या नहीं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमारे पास इसकी खबर नहीं है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—क्या सरकार के पास इसकी खबर है कि वहां इनक्वायरी एक्सक्यटिव अफसर भी कर रहे हैं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—गवर्नमेंट को इसकी खबर नहीं है।